

प्रेषक,

देवेन्द्र सिंह चौहान

अनु सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/

नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक ०९ दिसम्बर 2024

विषय- जनपद बिजनौर में बिजनौर एवं नजीबाबाद वन प्रभाग के अन्तर्गत Construction of 4-lanning of Kotdwar by pass of NH-119 connectiong Najibabad-Kotdwar to kotdwar pauri road in the State of Uttar Pradesh under Bharatmala Pariyojna Lot-4 package-2 from Ch.0.000 to 5.900 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में प्रभागीय वनाधिकारी नजीबाबाद के अन्तर्गत प्रभावित 4.61 हे० आरक्षित वनभूमि एवं बाधक 1238 वृक्ष एवं बिजनौर वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित 0.66 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 121 वृक्ष अर्थात् कुल 5.27 हे० संरक्षित एवं आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 1359 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/रोड/157011/2022)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-1450/11-सी-एफपी/यूपी/रोड/157011/2022 दिनांक 28.11.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधि नियम 1980 संपठित वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम 2023 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत 5 हे० से अधिक परियोजना प्रस्तावों हेतु गठित प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी (PSC) द्वारा परीक्षण किया जाता है। अपितु प्रश्नगत परियोजना प्रस्ताव में प्रभावित 5.27 हे० वनभूमि के दृष्टिगत यह स्पष्ट नहीं है कि प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी (PSC) द्वारा परीक्षण किया गया है अथवा नहीं ?

अतः कृपया उपरोक्तानुसार स्थिति स्पष्ट करते हुए आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे परियोजना प्रस्ताव में अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

Signed by

Devendra Singh Chauhan

Date: 09-12-2024 16:41:14
(देवेन्द्र सिंह चौहान)

अनु सचिव।